जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-01.08.2025**

प्रेस नोट

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा पशु के साथ असमाजिक कृत्य करने के मामले में बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा मे:–

ज्ञात हो थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत एक बाल अपचारी का पशु के साथ असामाजिक कृत्य करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे असामाजिक कृत्यो/कार्यों में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा घटना में लिप्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, तथा बाल अपचारी को माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शुक्रवार की परेड के दौरान नवीन पुलिस लाईन शामली का निरीक्षण कर, सम्बन्धित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देशः-

आज दिनांक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री राम सेवक गौतम द्वारा पुलिस लाईन में शुक्रवार की परेड के दौरान पुलिस लाईन शामली का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा सर्वप्रथम पुलिस लाईन में परेड़ की सलामी ली गई। परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारियों के टर्नआउट व ड्रिल का मुआयना किया गया। पुलिस लाइन में कर्मचारियों के मैस में भोजन की गुणवत्ता, आवासीय बैरक, शौचालय आदि का भ्रमण कर साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया। इस निरीक्षण में पुलिस लाईन की परिवहन शाखा व यूपी-112 शाखा के वाहनों की स्थिति की जानकारी भी की गयी व डॉग स्क्वायड की टीम भी मौजूद रही। परेड के दौरान पुलिस लाइन में आर0टी0सी प्रशिक्षण अभ्यार्थी भी मौजूद रहे। इसके बाद महोदय द्वारा अर्दली रूम में रजिस्टर चैक किये गये एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये। तदोपरांत महोदय द्वारा नवीन पुलिस लाईन में प्रचलित आर0टी0सी0 की मैस, बैरक एवं अन्य मुलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया एवं प्रशिक्षण अभ्यार्थी से समस्याओं के बारे में जानकारी ली गयी तथा सम्बन्धित को तत्काल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमरदीप मौर्य, क्षेत्राधिकारी थानाभवन श्री जितेन्द्र सिंह, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुश्री प्रभा पटेल व प्रतिसार निरीक्षक श्री विक्रम सिंह व विभिन्न थानों/शाखाओं के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना कांधला पुलिस द्वारा विवाहिता से दुष्कर्म कर दहेज की मांग करने के मामले में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 28.05.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत वादिया द्वारा अपने ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज की मांग कर मारपीट करने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। वादिया की तहरीर के आधार थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा विवाहिता से दहेज की मांग कर मारपीट कर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.साजिद पुत्र निस्ताक निवासी मौहल्ला अशरफ कालोनी कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-</u>

आज दिनांक 01.08.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.अवनीश पुत्र शिवकुमार निवासी मौहल्ला ब्लॉक रोड शामली थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 चाकू।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अलग अलग 01 मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2024 में अभियुक्त जय उर्फ बबलू पुत्र अरविन्द निवासी खानपुर कला थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 384/2024 धारा-3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 31.07.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व कुल 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI